(दीपा कटारे)
न्याय निर्णायक अधिकारी
भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण
छत्तीसगढ़, रायपुर

छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

प्रकरण क्रमांक : 18/2022 dt 3.10.22 प्रकरण दर्ज दिनांक ....

आवेदक : संदीप राठौर (एवं) वि. अवनि बिल्डकॉन CGRERA-P-Exec.PRO.2019.00328

26.05.2023

प्रकरण वी.सी. के माध्यम से सुनवाई में लिया गया।

आवेदकगण अनुपस्थित।

अनावेदक अनुपस्थित।

आवेदकगण अधि. ने ऑफिस में उपस्थित होकर यह सूचना प्रदान की कि उनका फोन खराब होने के कारण वे वी.सी. से उपस्थिति नहीं पायेंगे।

प्रकरण आज आदेश हेतु नियत हैं।

आवेदक अधि. श्री सुभाषचंद्र राठौर ने दिनांक 18/05/2023 को प्रस्तुत आवेदन का निराकरण इस आदेश द्वारा किया जा रहा हैं। आवेदन के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदकगण का शिकायतपत्र एवं निष्पादन आवेदन पत्र इस फोरम के समक्ष दिनांक 30/09/2022 से लंबित हैं। माननीय प्राधिकरण द्वारा दिनांक 03/01/2020 को आदेश पारित कर यह आदेश किया गया था कि कलेक्टर जिला रायपुर आर.आर.सी. के माध्यम से अनावेदक से 42,00,000 रू. (बयालिस लाख रूपये मात्र) वसूल कर आवेदक श्री संदीप राठौर को दिलाया जाना सुनिश्चित करे। इस हेतु पृथक से कलेक्टर रायपुर को आर.आर.सी. जारी करने हेतु लेख किया जावे। उक्त आदेश के पालन में कलेक्टर रायपुर द्वारा दिनांक 24/01/2020 को एक ज्ञापन प्रकरण क्र. 99/रा.मा./2020 के अंतर्गत तहसीलदार रायपुर को प्रेषित किया गया था। उक्त ज्ञापन के अवलोकन से यह स्पष्ट हो जायेगा कि आदेशित राशि की वसूली किसी भी हालत में नहीं की जा सकेगी क्योकि उक्त ज्ञापन में जिनको वसूली की राशि प्राप्त होनी थी उन्हे ही बकायादार दर्शाया गया हैं। यही कारण है कि आदेश पारित हुए 3 वर्ष से अधिक अवधि बीत जाने के पश्चात् भी वसूली नहीं हो पायी हैं। अतः उपरोक्त परिस्थितियों में आवेदकगण द्वारा अपने खास मुख्तियार के मार्फत दिनांक 03/05/2023 को कलेक्टर रायपुर को एक पत्र प्रेषित कर उक्त वसूली प्रकरण इस फोरम को वापस भेजने हेतु निवेदन किया गया है जो अभी तक प्राप्त नहीं हुआ हैं एवं लगभग एक सप्ताह के अंदर प्राप्त होने की संभावना हैं। अतः आवेदकगण द्वारा यह निवेदन किया गया हैं कि कलेक्टर रायपुर से वसूली प्रकरण वापस प्राप्त होते ही उचित आदेश पारित किया जावे।

प्रकरण का अवलोकन किया गया। अवलोकन से दर्शित है कि दिनांक 03/01/2020 को माननीय प्राधिकरण द्वारा श्री संदीप राठौर के पक्ष में निम्न आदेश पारित किया था :–

Scanned with CamScanner

(दीपा कटारे)
न्याय निर्णायक अधिकारी
भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण
छत्तीसगढ़, रायपुर

छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

प्रकरण क्रमांक : 18/2022 दि. 3.10.22 प्रकरण दर्ज दिनांक ....

आवेदक संदीप राठौर [मृत] v/s m/s CGRERA-P-Exe.m.PRO.2019-00328

"कलेक्टर जिला रायपुर आर.आर.सी. के माध्यम से अनावेदक से 42,00,000 रू. (बयालिस लाख रूपये मात्र) वसूल कर आवेदक श्री संदीप राठौर को दिलाया जाना सुनिश्चित करे। इस हेतु पृथक से कलेक्टर रायपुर को आर.आर.सी. जारी करने हेतु लेख किया जावे"

उक्त आदेश के पालन में प्राधिकरण द्वारा दिनांक 03/01/2020 को श्रीमान् कलेक्टर रायपुर को आर.आर.सी. जारी की गई थी। उक्त के पालन में कार्यालय कलेक्टर द्वारा श्रीमान् तहसीलदार रायपुर को वसूली किये जाने हेतु ज्ञापन जारी किया गया था। तत्पश्चात् दिनांक 17/02/2021 को प्राधिकरण द्वारा श्रीमान् कलेक्टर रायपुर को वसूली हेतु स्मरण पत्र जारी किया गया था। प्राधिकरण द्वारा, अनावेदक से, आदेशित 42,00,000 रू. की वसूली आर.आर.सी. के माध्यम से किये जाने का स्पष्ट एवं विशिष्ट आदेश पारित किया गया है। प्राधिकरण द्वारा वसूली हेतु आर.आर. सी. श्रीमान् कलेक्टर रायपुर को पूर्व में जारी की जा चुकी हैं। ऐसी दशा में इस फोरम द्वारा पुनः वसूली हेतु निष्पादन कार्यवाही किये जाने का कोई औचित्य नहीं हैं। अतः प्रस्तुत विचाराधीन आवेदन सारहीन होने से खारिज किया जाता हैं। परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए रजिस्ट्रार रेरा को यह निर्देशित किया जाता हैं कि वे श्रीमान् कलेक्टर रायपुर को पुनः इस संबंध में स्मरण पत्र जारी करे कि श्रीमान् तहसीलदार द्वारा आर.आर.सी. प्रक्रिया के तहत की गई वसूली कार्यवाही से इस फोरम को अवगत करावे।

आवेदकगण द्वारा आवेदन अंतर्गत 22 नियम 3 सी.पी.सी. पेश कर निवेदन किया हैं कि मृतक संदीप राठौर के विधिक् प्रतिनिधियों को पक्षकार के रूप में संयोजित किया जावे। आदेश 22 नियम 3 सी.पी.सी. की प्रायोज्यता के लिए इस फोरम के समक्ष कोई कार्यवाही लंबित नहीं हैं। अतः उक्त आवेदन सारहीन होने से निरस्त किया जाता हैं।

उपरोक्तानुसार आवेदकगण द्वारा पुनः प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत धारा 40 भू–संपदा विनियमन और विकास अधिनियम 2016 खारिज किया जाता हैं। प्रकरण की कार्यवाही समाप्त। परिणाम दर्ज कर अभिलेख अभिलेखागार रवाना किया जावे।

(दीपा कटारे)
न्याय निर्णायक अधिकारी
भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण
छत्तीसगढ़, रायपुर

Scanned with CamScanner